



समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0)

विज्ञापन संख्या-01/2024

आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन संबंधित विज्ञापन

समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 के आलोक में पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद पर अनुबंध आधारित नियोजन हेतु आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-3442, दिनांक-28.10.2024 द्वारा अनुमोदित रोस्टर पंजी के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त 42 पदों पर विभागीय पत्रांक-आई0सी0डी0एस/10036/06-2019 41, दिनांक-29.01.2023, पत्रांक-आई0सी0डी0एस0/10036/11-2018 162 दिनांक-04.02.2023 एवं पत्रांक-आई0सी0डी0एस0/10036/11-2018 6833 दिनांक-19.11.2024 के आलोक में अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

कोटिवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-


क्रमांक	कोटि	बैकलॉग रिक्ति	चालू रिक्ति	कुल रिक्त पदों की संख्या
01	अनुसूचित जाति	04	05	09
02	अनुसूचित जनजाति	00	01	01
03	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02	07	09
04	पिछड़ा वर्ग	00	03	03
05	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	01	01	02
06	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	04	04
07	गैर आरक्षित वर्ग	00	14	14
कुल				42

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को क्षैतिज आरक्षण के तहत नियमानुसार 01 पद देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को क्षैतिज आरक्षण के तहत नियमानुसार 01 पद देय होगा।

निदेशक आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-आई0सी0डी0एस0/10036/06-2019 41 दिनांक-29.01.2023 द्वारा इस पद पर नियोजन हेतु आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए अर्हता में अंकित 45 वर्ष की उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी गयी है। निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-आई0सी0डी0एस0/10036/11-2018 6833 दिनांक-19.11.2024 से संसूचित निदेश के आलोक में अपलोड की गई सूचना/विज्ञापन आमजनों के लिए दैनिक समाचार पत्र, जिले की अधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ <http://125.16.175.140:88/vacancyList.aspx> पर प्रदर्शित हो जायेगी एवं आमजन इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे।

1. अर्हताओं के लिए विभागीय मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 1846 दिनांक-10.06.2010, एवं संशोधित पत्रांक-5994, दिनांक-31.12.2018(इस पत्र के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरा जाना है) एवं पत्रांक-10036/06-2019 41 दिनांक-29.01.2023 जिला वेबसाइट- eastchampan.nic.in पर ऑनलाईन देखा जा सकता है। साथ-साथ यह विज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय (समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित/प्रदर्शित किया गया है।
2. नियोजन संबंधी अर्हताओं के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका/पत्रों में वर्णित नियम एवं शर्त अक्षरशः लागू होंगे।
 - (क) अभ्यर्थी केवल महिला हों।
 - (ख) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हों।
 - (ग) अभ्यर्थी पूर्वी चम्पारण जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हों।

3. आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।
4. आवेदिका द्वारा चयन वर्ष (वर्ष 2024) की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल आंगनवाड़ी सेविका के रूप में पूर्ण किया गया हो।
5. आवेदिका जिला पूर्वी चम्पारण क्षेत्र की निवासी हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
6. आवेदन विहित प्रपत्र में साफ स्पष्ट भरे होने के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, एवं संबंधित कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंध पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएँगे तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। इस आशय का Undertaking देना अनिवार्य होगा कि वे भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला चयन समिति पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
10. विज्ञापन एवं सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अधीन है। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।
11. आंगनवाड़ी सेविका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक-~~31.12.2024~~^{10.01.2025} के अपराह्न 05:00 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं संबंधित कागजात की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए Online आवेदन समर्पित करेंगे। वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
12. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
13. विभागीय पत्रांक-5543, दिनांक-04.10.2023 के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों को मानदेय एवं यात्रा भता देय होगा।
14. समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-3445, दिनांक-09.09.2020 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिये संसूचित प्रावधान लागू होंगे।
15. यह नियोजन सक्षम न्यायालय/विभागीय दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
16. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3385, दिनांक-22.07.2024 एवं आई0सी0डी0एस0 निदेशालय का पत्रांक-4359, दिनांक-26.07.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CWJC No.-16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य में तथा संबद्ध अन्य सभी मामलों में दिनांक-20.06.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP(C) No. 014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024, 014430/2024 में पारित आदेश के फलाफल से यह नियोजन प्रभावित होगा।
17. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से पूर्वी चम्पारण जिला के अधिकारिक वेबसाईट <https://eastchamparan.nic.in/> का अवलोकन करते रहेंगे।


 जिला पदाधिकारी,
 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
संकेत

1846
- 10/11/10

विषय :- "समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका"

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इनकी स्थापना पुर होने वाले 100 का 100 प्रतिशत सहन केन्द्र सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत सहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य के प्रत्येक एच शहरी क्षेत्रों के लिए 544 बाल विकास परियोजना स्वीकृत है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन का मासिकीय बिन्दु आंगनवाड़ी केन्द्र है, जो सामान्यतया प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर प्राथमिक क्षेत्रों एवं 1500 की जनसंख्या पर शहरी क्षेत्रों में स्थापित होता है। इस योजना के कार्यान्वयन में महिला पर्यवेक्षिका की भूमिका अहम होती है, जिन्हें 20-25 आंगनवाड़ी केन्द्रों के समूह के समुचित कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व होता है। बिहार के 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के 3269 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 254 महिला पर्यवेक्षिकाएँ कार्यरत हैं एवं 3034 पद रिक्त हैं। कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाएँ नियमित रूप से नियुक्त है। इनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के उपरान्त रिक्त होने वाले पद संविदा पर नियोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षिका के लिए कर्मांकित हो जायेंगे। इस योजना के बेहतर संचालन एवं समुचित पर्यवेक्षण के लिए महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल अनुबंध के आधार पर नियोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

- (i) अनुबंध पर नियोजन स्वीकृत/रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र ऑन लाइन प्राप्त कर किया जायेगा और ऐसे नियोजन में राज्य के आरक्षण संबंधी अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों का पालन किया जायेगा।
- (ii) जिलावार स्वीकृत तथा रिक्त पदों के आधार पर विभिन्नकोटि के लिए आदर्श रोस्टर प्रणाली के तहत सलेख की कडिका (viii) की प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाई की जायेगी। अनुबंध पर नियोजन हेतु अलग से रोस्टर प्रणाली संचालित किया जायेगा।
- (iii) अनुबंध पर नियोजन के लिए अर्हताएँ :-
 - क) अभ्यर्थी केवल महिला हो।
 - ख) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
 - ग) आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आयासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- (iv) 1 (अ) जिला स्तर पर स्वीकृत बल के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 25 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। महिला पर्यवेक्षिका के लिए अर्हता निम्नांकित होगी :-

अनिवार्य अर्हता :-
भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।

यांछनीय अर्हता :-
निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक) के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिये जायेंगे :-

- (I) समाज शास्त्र (II) समाज कार्य (III) गृह विज्ञान (IV) मनोविज्ञान (V) बाल विकास एवं पोषण (VI) आहार विज्ञान (VII) श्रम एवं समाज शास्त्र।

समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पोलिटेकनिक, यूनानी, शिवा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यभाषा/भाषा विशेष से संबंधित डिग्री (भौलवी, उप-शास्त्री) तथा स्वेच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वर्णित) महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन हेतु रागितता नहीं है। शेष 25 प्रतिशत पद ऑगनवाडी सेविकाओं के लिए कर्णांकित होंगे। इस कोटि के अन्तर्गत चयन हेतु अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

- 2 (क) (1) न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण
(2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल ।

(v) उम्र :- चयन के वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(vi) उपरोक्त कंडिका (iv)(2)(क) के अन्तर्गत चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।
शारीरिक स्वस्थता : अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता/विकलांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर किया जाय न कि चयन समिति के विदक पर। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान, सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पर्याप्त ही की जायेगी।

विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी।

(vii) जिला स्तरीय चयन समिति:- महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :-

(1)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	उप विकास आयुक्त-राट-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य
(3)	असेनिक शल्य चिकित्सक-राट-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अर्घक्षक	सदस्य
(5)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
(6)	जिला पर्यद की निर्वाचित एक महिला प्रधेनिधि	सदस्य
(7)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति/जन जाति के पदाधिकारी	सदस्य

(viii) अनुबंध के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया

(1) (क) रिक्तियों की अद्वारणा :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथारिथति पदों के समूहीकरण की कार्यवाई पर जिला स्तर पर चयन के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं ऑगनवाडी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमांक 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।

75 प्रतिशत पदों, जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटियार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटियार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया को निम्नप्रकार से उदाहरण के रूप में और स्पष्ट किया जाता है :-

(i) धुंकि 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती है, अतः सर्वप्रथम इन रिक्तियों अर्थात् 3034 की संख्या को 7525 के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। इस प्रकार सीपी नियुक्ति से कुल लगभग 2278 महिला पर्यवेक्षिकाओं की एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं में से कुल 758 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) उपरोक्त 2278 एवं 758 रिक्तियों के लिए अलग-अलग रोस्टर पंजी संपादित की जाएगी। प्रत्येक रोस्टर-पंजी-क्रमांक 1 से प्रारंभ होगी।

(ख) आरक्षण :- (i) बिहार अधिनियम-3/1992 एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में हस्तगत नियोजन में आरक्षण प्रभावी होगा। बिहार अधिनियम-17/2002 के आलोक में निर्गत परिपत्र संख्या 458 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार जिला स्तर पर रोस्टर गठन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(ii) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के आलोक में कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 एवं समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्रों/आदेशों आदि के आलोक में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण देय होगा।

(iii) बिहार अधिनियम-15/2003 के आलोक में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण देय नहीं होगा।

2) रिक्तियों के रोस्टर बिन्दु तैयार होने के पश्चात महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जिला स्तर से निर्गत किया जायेगा। विज्ञापन निकाल कर चयन तक की प्रक्रिया के साथ ही रोस्टर बिन्दु के निर्धारण का कार्य भी सारा-साथ पुत्र कराया जायेगा।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस मार्गदर्शिका की कड़िका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) के अनुरूप अभ्यर्थियों के मेधा सूची का निर्धारण जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) (क) चयन के विचारार्थ ऑन लाईन आवेदन पत्र, विहित परिशिष्ट-1 में देना अनिवार्य होगा तथा इसकी प्रति संबंधित डाक से संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अनिष्पन्न प्रतिभों, तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अडरटोकेंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उक्त के आधार पर उस आवेदन को अयोग्य नहीं किया जायेगा। आवेदक का आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि कौन सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। वांछित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन देने की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर इस मार्गदर्शिका की कड़िका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा। अंतिम रूप से निर्धारित किये गये सूची पर जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन परिणाम (Result) चयन समिति के सदस्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रभंडरतीप

आयुक्त को भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों की योग्यता, जाति, निवास, एवं चरित्र आदि के मूल प्रमाण पत्र की आवश्यक जॉबोपसंत भवित अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षण के पद पर नियोजन हेतु अनुसंध एकसारनामा करने के लिए लिखित सूचना निबंधित अंक से प्रथम हाथों-हाथ भेजा जायेगा।

(ग)

अभ्यर्थियों की योग्यता जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जॉब जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यी समिति द्वारा की जायेगी। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के विरवगनीयता की जॉब से संबंधित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से करादी जायेगी। प्रमाण पत्र, जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में उनका घयन अरवीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

(घ)

सदस्य सचिव, जिला स्तरीय घयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची के आलोक में घयनित अभ्यर्थियों से अनुसंध के शर्तों के विन्दुओं पर एका एकसारनामा "विहित प्रपत्र" में किया जायेगा। जिसमें एक पक्ष घयनित अभ्यर्थी एवं दूसरा पक्ष सदस्य सचिव, घयन समिति होंगे। तदनुसार घयनित अभ्यर्थियों को जिलान्तर्गत परियोजना में पदस्थापन के निमित्त परियोजना कार्यालय में योगदान देने हेतु जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत नियोजन पत्र हस्तगत करायेगे। नियोजन पत्र की प्रति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आर०सी०टी०एस० को उपलब्ध करायेगे। नियोजित अभ्यर्थी नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेगे। निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान नहीं करने वाली अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा। किसी अपरिहार्य और गंभीर विचारणीय कारण की स्थिति में योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय देय होगा। उसके पश्चात किसी भी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ)

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संचारित किया जायेगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर कुल गृष्टों का प्रगणीकरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5

सीधी नियुक्ति

(क)

अभ्यर्थियों के घयन हेतु पैनल निम्न रूपेण मेधा अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा:-

शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक/सामकक्ष परीक्षा	
2	इंटरमीडिएट	
3	स्नातक	

(ख)

उपरोक्त सभी प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर उसमें तीन से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उस अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक होगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (extra) विषयों को नहीं जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों को जोड़ा जायेगा। उदाहरण स्वरूप अनिवार्य विषय गणित, विज्ञान, ऐरिष्क विषय - कम्प्युटर, अतिरिक्त विषय - तर्कशास्त्र।

मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषय - तर्कशास्त्र के अंक को छोड़कर अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों के अंक कुल प्राप्तांक होंगे।

(ग)

मार्गदर्शिका की कंडिका (iv) (i) (क) के तहत पाठनीय अर्हता के वर्णित विषयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को क्रमशः 5 एवं 10 बोनस अंक (अलग-अलग) दिये जायेगे।

मेधा सूची तैयार करने के लिए 3 अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले अंक का उदाहरण निम्नप्रकार से स्पष्ट किया गया है -

उदाहरण 1 मान लिया जाय कि कुमारी शीता की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	62 प्रतिशत
इंटर	-	73 प्रतिशत
स्नातक	-	61 प्रतिशत

कुमारी शीता के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण 8 बोनस अंक दिया जायेगा, परंतु निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 70.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अध्यायी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंकों की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुमारी शीता	62	73	61	62	73	61	65.33	8 (कॉटिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय)	-	70.33

उदाहरण 2 मान लिया जाय कि शीरा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	72 प्रतिशत
इंटर	-	76 प्रतिशत
स्नातक	-	48 प्रतिशत

शीरा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक दिया जायेगा एवं निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण रहने के कारण 10 बोनस अंक दिया जायेगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 75.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अध्यायी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंकों की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
शीरा कुमारी	72	76	48	72	76	48	65.33	5 (कॉटिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय)	10 (कॉटिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय)	75.33

उदाहरण 3 मान लिया जाय कि सीमा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	65 प्रतिशत
इंटर	-	63 प्रतिशत
स्नातक	-	54 प्रतिशत

सीमा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय स्तरीय विषय में स्नातक उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक नहीं दिया जायेगा एवं

निर्धारित अर्हता को पांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस अंक भी दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 67.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यर्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
शीघ्र कुमारी	65	53	54	65	53	54	57.33	-	-	57.33

(ग) अभ्यर्थियों को कंडिका viii(5)(ख) के तहत प्राप्त कुल प्राप्तांक में उपरोक्त बोनस अंक जोड़कर मेधा अंक निर्धारित किये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त मेधा अंको के आधार पर आरक्षण कोटि के अनुसार मेधा सूची बनाकर रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी, यदि दो उम्मीदवारों को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली अभ्यर्थी को उपर रखा जायेगा।

(ङ) **ऑगनबाडी सेविका से नियुक्ति :-**
 ऑगनबाडी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु माप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय घयन समिति द्वारा की जायेगी, तथा निम्नलिखित रीति से इन अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची आरक्षण के नियमों के तहत कोटिवार तैयार की जायेगी।

प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके परचात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिये जायेंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाडी सेविका को क्रमशः 10 एवं 5 अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इंटर/स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्रमशः 10 बोनस अंक या 5 बोनस अंक या 3 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी। यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

(घ) उपरोक्त कंडिका (viii) 5 (क)(ख)(ग)(घ) एवं (ङ) के आलोक में तैयार मेधा सूची को कंडिका (viii) 4 (ख) के अनुरूप सार्वजनिक स्तर पर प्रकाशित किया जायेगा। एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए सदस्य सचिव, घयन समिति के कार्यालय में दर्ज करने का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर सदस्य सचिव मेधा सूची को अंतिम रूप देंगे एवं उस पर घयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर घयन संबंधी कार्रवाई करेंगे।

(च) अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर संतोषप्रद क्रियाकलाप एवं पद की आवश्यकता के आलोक में पुनः अनुबंध किया जा सकेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ज) अनुबंध के आधार पर नियोजित महिलाएँ सरकारी सेवक नहीं मानी जायेगी और सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा की ये हकदार नहीं होंगी। अनुबंध के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा। परियोजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) घयन संबंधी अनियमितता पर कार्रवाई :-
 इस मार्गदर्शिका के आलोक में नियोजन/घयन संबंधी अनियमितता के मामलों में संबंधित प्रमडर्ताय

आयुक्त के यहाँ अधिकतम 1 माह के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी। शिकायत के आलोक में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त जौधोपरांत संबंधित पक्षों को बुगकर एक माह के अंदर गुजर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम माना जायेगा। यदि जौधोपरांत यह पाया जाता है कि महिला पर्यवेक्षिका का घयन इस मार्गदर्शिका के प्रावधानों के प्रतिकूल किया गया है तो प्रमंडलीय आयुक्त उक्त महिला पर्यवेक्षिका के घयन को रद्द करते हुए, संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि वे सरकारी निर्देश/भाषणों के आलोक में सही अन्वेषों का पालन करें।

(x) अनुबंध करने की प्रक्रिया-

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपर्युक्त सूचक के आधार पर श्रेणित रूप में योग्य/अयोग्य महिला पर्यवेक्षिका की सूची/प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुबंध समाप्त होने के दो माह पूर्व घयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करावेंगे।

(ख) सदस्य सचिव, घयन समिति, सेवा संबंधी प्राप्त सूची/प्रस्ताव पर अनुबंध समाप्त होने के पूर्व जिला स्तरीय घयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आई0सी0डी0ए0 को सूची सहित उपलब्ध करावेंगे।

(xi) महिला पर्यवेक्षिका की अनुमान्यता/प्राप्तिवाः

(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलेख में समिति द्वारा स्वीकृत महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित नियत पारिश्रमिक 12000/- (बारह हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा (कार्यवाही की प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त प्रति आंगनवाड़ी दोन्ध 40 रु की दर से यात्रा भत्ता अथवा अधिकतम 1000/- (एक हजार) रु प्रतिमाह अनुमान्य होगा। उक्त राशि का भुगतान उसी शीर्ष से होगा जिस शीर्ष के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका का पद स्वीकृत होगा।

(ख)

(i) राजपत्रित अवकाश एवं रविवार को छोड़, वर्ष में 12 दिनों का (संवैतनिक) आकरिमिक अवकाश अनुमान्य होगा।

(ii) मृत्यु अवकाश का लाभ निर्धारित निपत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माहों का देय होगा।

(xii) प्रशिक्षण : राज्य सरकार इनके पेशागत ज्ञान एवं कौशल के लिए समय-समय पर संवैतनिक जॉब/स्किफर प्रशिक्षण, की व्यवस्था करेगी जिसमें भाग लेना और उत्तीर्ण होना इनके लिए अनिवार्य होगा।

(xiii) प्रशासनिक नियंत्रण :

संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका का प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी होंगे। परियोजना स्तर पर महिला पर्यवेक्षिकाएँ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। किन्तु सारी प्रशासकीय एवं नियंत्री शक्तियाँ सरकार में निहित रहेगी।

(xiv) अनुबंध की समाप्ति (Termination)-

क) इस प्रकार का नियोजन, संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

ख) महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अपने कर्तव्यों के सतोषप्रद निर्वहन नहीं किये जाने, उनके द्वारा अनियमितता बरते जाने, अनाधिकृत अनुपरिधत रहने, अपराधिक घटना में शामिल होने अथवा एकरारनाम की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण पूछकर संबंधित जिला पदाधिकारी अनुबंध मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। इनके आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष एक माह के अंदर की जा सकेगी। प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

ग) उपरोक्त कठिका (ख) में उल्लिखित आरोपों के आधार पर संबंधित साक्ष्यों से संतुष्ट हो कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध समाप्त करने का

आदेश पारित करेंगे।

घ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त उपरोक्त कांडिका (ख) में उल्लेखित विन्दुओं पर जांचोपचान्त महिला पर्यवेक्षिका को सेवा भुगतान करने का अधिकार सरकार में भी सुरक्षित रहेगा।

(xv) निर्वचन (Interpretation) :- यदि इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के किसी कांडिका के निर्वचन में कोई संका उत्पन्न होने एवं नियोजन संबंधी उपरोक्त दिशा-निर्देश से अलग कोई भी दृष्टांत या मामला प्रकार में आता है तो उस मामले को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशक, आई०सी०डी०एस० के संज्ञान में लाया जायेगा। जिस पर निदेशक, आई०सी०डी०एस० समीक्षोपरांत, आवश्यकतानुसार सरकार के अनुमोदनोपरांत निर्देश जारी करेंगे।

xvi) राज्य सरकार एवं निदेशालय की शक्तियों :

(क) समय-समय पर, यथा आवश्यकता, राज्य सरकार मार्ग निर्देश दे सकेगी।

(ख) यथा आवश्यकता एवं निश्चित व्यतिक्रम पर वित्तीय परिलक्षियों का पुनरीक्षण/ मूल्यांकन करा सकेगी।

(ग) इस संकल्प द्वारा निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करने/ वित्तीय अनियमितता के प्रभाविक सक्षय मिलने, नियोजन में अनियमितता पाये जाने पर निदेशक, आई०सी०डी०एस०/प्रधान सचिव, समाज कल्याण एवं सरकार संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं के नियोजन को रद्द करने का निर्देश दे सकेगी तथा अनियमितता संबंधी राशि की वसूली के लिये विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेगी।

(घ) संकल्प के किसी प्रावधान को संशोधित/ विलोपित कर सकेगी।

(XVII) इस संकल्प में निहित निर्देश बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

(XVIII) पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संपांक-09/आई०सी०डी०एस०-1068/2001-1221, दिनांक-01.04.08 विलोपित समझा जायगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों, कार्यालयों एवं जिला परिषदों को भेजी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पी० एं० वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग


आयाक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
 प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुरुजाराबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय
 मुद्रणालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन अगले अंक में किया
 जाय तथा इसकी 50 प्रति आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायी जाय।


 (वी० के० वर्मा)
 प्रधान सचिव


आयाक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
 प्रतिलिपि - महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव,
 बिहार, पटना/माननीय मंत्री, समाज कल्याण के आधा सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित।


 (वी० के० वर्मा)
 प्रधान सचिव

आयाक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
 प्रतिलिपि - सभी प्रवृद्धतीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला प्रोग्राम
 पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला पर्यटन/वात विकास परिमोजना पदाधिकारी को सूचना एवं
 आवश्यक कार्याध्य प्रेषित।


 (वी० के० वर्मा)
 प्रधान सचिव

आयाक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
 प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक-08.06.10 को
 मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृत संलेख के कार्यान्वयन के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्याध्य हेतु
 प्रेषित।


 (वी० के० वर्मा)
 प्रधान सचिव



संयोजित बाल विकास सेवाएं (ICDS) विभाग, बिहार
(संयोजित कार्यक्रम विभाग)



(21)
10

पत्र संख्या :- ICDS/10036/11-2018 5999 दिनांक 21/12/2018

सेवा में,
आलोक कुमार, भा.व.से.
निदेशक,
आई.सी.डी.एस.।

सभी प्रगतिशील आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय :- समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महाराज्य,
उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 से निर्गत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-2/2014-CD.1 दिनांक 15.09.2015 द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से पोन्नति द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्देश है।

साथ ही विद्यमान मार्गदर्शिका संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 की कडिका-IV विशेष अर्हता "अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी" वर्तमान में विचाराधीन थी।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया गया -

क्र.	धारा/नियमावली संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	कडिका- (iv)। (क)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।

140

<p>संकेत- (viii) 1 (क)</p>	<p>रिक्तियों की अधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2803 दिनांक 03.10.2008 के आशोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कर्वाह कर जिला स्तर पर घयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर हेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमांक: 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।</p>	<p>रिक्तियों की अधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2803 दिनांक 03.10.2008 के आशोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कर्वाह कर जिला स्तर पर घयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर हेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमांक: 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।</p>
	<p>75 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।</p>	<p>50 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।</p>
<p>कडिका- (viii) 5 (ड.)</p>	<p>आंगनवाड़ी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय घयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।</p>	<p>आंगनवाड़ी सेविका के लिए 50 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय घयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।</p>
<p>2. कडिका- (vi)</p>	<p>विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी</p>	<p>विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।</p>

विश्वासभाजन

(Signature)
20/11/2018
(आलोक कुमार)

निदेशक